

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 428/एफ 2019-53-01932/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 02.08.2023
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण।

- संदर्भ :- 1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 297/एल 2015-71-00388 /वित्त/नियम चार, दिनांक 23 सितंबर, 2015 एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र एफ 9-1 /2012/1-3, दिनांक 31.12.2012.
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 328/एफ-2015-71-00338/वि/नि/चार, दिनांक 24 जुलाई, 2017.
3. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 336/एफ-2019-53-01932/वि/नि/चार, दिनांक 2 अगस्त 2019.

—0—

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन दिनांक 2 अगस्त 2019 द्वारा विभिन्न वेतनमान के पदों के लिए एकजाई संविदा वेतन निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर, 2012 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 की कंडिका 12(2)(क) में प्रदत्त शक्तियों के तहत एकमुश्त संविदा वेतन की दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार संविदा नियुक्ति हेतु विभिन्न वेतन लेवल के पदों के लिए निम्नानुसार संविदा वेतन निर्धारित किया जाता है :-


क्रमांक	संविदा नियुक्ति के पद का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में लेवल	मासिक संविदा वेतन
(1)	(2)	(3)
1.	1	14400
2.	2	14860
3.	3	16615
4.	4	18000
5.	5	20675

Arul

// 2 //


6.	6	23350
7.	7	26490
8.	8	32675
9.	9	35165
10.	10	39875
11.	11	45320
12.	12	51780
13.	13	62120
14.	14	73750
15.	15	109375
16.	16	119715

- 2/ कॉलम 3 में उल्लेखित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ता देय नहीं होंगे ।
- 3/ ये दर उन संवर्गों के लिए लागू नहीं होंगी जिनके लिए वित्त विभाग की सहमति से अलग से संविदा वेतन निर्धारित किया गया है, वे दरें यथावत् रहेंगी ।
- 4/ ये दरें दिनांक 01 जुलाई 2023 से प्रभावशील होंगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव

पृ.क्रमांक429/एफ 2019-53-01932/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक02.08.2023
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
 3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
 13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
 14. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
 21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
 22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु


 (इन्द्रप्रकाश रात्रे)
 अवर सचिव